वेबसाइट /ई मेल द्वारा

12015/06/2024 रा.भा. (तक)
राजभाषा विभाग
भारत सरकार
तकनीकी कक्ष
गृह मंत्रालय

एन.डी.सी.सी. -2 भवन, बी विंग चतुर्थ तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 14/01/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अनुवाद टूल "कंठस्थ 2.0" पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों बैंको/उपक्रमों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

राजभाषा विभाग द्वारा सी डैक पुणे के सहयोग से कंठस्थ 2.0 संस्करण को विकसित किया गया है। इसका लोकार्पण दिनांक 14 सितम्बर 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, सूरत में माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा किया गया।

2. कंठस्थ 2.0 में कुछ नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार के अनुवाद / राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है ताकि वे कंठस्थ 2.0 का भरपूर प्रयोग कर सकें। राजभाषा विभाग एवं सी बैंक द्वारा यह प्रशिक्षण उन अनुवाद/राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो बाद में अपने कार्यालयों में इस टूल पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकें।

3. कंठस्थ 2.0 पर एक दिवसीय अभ्यास आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 से 14 फरवरी, 2025 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

4. इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अनुवाद / राजभाषा कार्मिकों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय से अनुमति लेकर ऑनलाइन पंजीकरण **09 फरवरी, 2025 तक** करें। पंजीकरण के दौरान ही प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार **12 से 14 फरवरी, 2025** में से किसी एक तिथि का चयन कर ले। प्रत्येक दिन के लिए 300 सीटें रखी गई है। सभी पंजीकृत प्रशिक्षुओं को पंजीकरण के उपरांत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केन्द्र की सूचना उनके पंजीकृत ई मेल पर भेज दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण का लिंक https://kanthasth.rajbhasha.gov.in/trainingRegistration है।

5. राजभाषा विभाग द्वारा उक्त एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार के यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान नियमानुसार संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

ANIL KUMAR
Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.17 17:38:25 +05'30'

(अनिल कुमार)
उप सचिव (तकनीकी)
दूरभाष: 23438129

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों / कार्यालयों / बैंकों / उपक्रमों के राजभाषा प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय से कार्मिकों को इस प्रशिक्षण हेतु नामित/अनुमति प्रदान करें।
2. श्री शशिपाल (संयुक्त निदेशक), सी- डैक पुणे, को इस अनुरोध के साथ कि प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।
3. कंठस्थ के सभी पंजीकृत प्रयोक्ता।